न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्या:— 32/2021 (225 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :— 2021/118

उनवान

1. किरनदेई पत्नी टीकम सिंह
2. सूरजमल पुत्र टीकम सिंह
3. लोकेन्द्र पुत्र टीकम सिंह
4. रामप्रसाद पुत्र देवीराम

जाति जाट निवासी दॉदू (पैंघोर) तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

........................अपीलांट।

बनाम

1. रनधीर सिंह पुत्र श्री बदन सिंह जाति जाट निवासी ग्राम दॉदू (पैंघोर) तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

............................रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर दिनांक 08.02.2021 उनवानी किरनदेई बनाम रनधीर सिंह मु0न0 93/20

अभिभाषकगण :—

1. वकील अपीलांट श्री नीरपाल सिंह उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री घनश्याम सिंघल उपस्थित।

निर्णय — दिनांक :— 13.09.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर के आदेश दिनांक 08.02.2021 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/अपीलाण्ट ने मूल वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 948 वाके ग्राम दांदू (पैंघोर) तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर में स्थित है, जो कि साविक खसरा नम्बर 1034, 1035 से मिलकर बना है। जिसमें 1034 प्रार्थी/अपीलाण्ट के पितामह/वावा चुन्नी पुत्र श्री गंगाधर के नाम जमाबन्दी संवत 2019 के खाता संख्या 338 व जमाबन्दी संवत 2020 से 2023 के खाता संख्या 47 में सैटिलमेंट पूर्व

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज थे। जमावन्दी संवत 2020 से 2023 व जमावन्दी संवत 2019 के खाता संख्या 71, 336 व जमाबन्दी संवत 2029 के खाता संख्या 87 पर गैर सायल रैस्पो0 के पिता बदन सिंह व चाचा करन सिंह के नाम इन्द्राज साविक खसरा नम्बर 1034 में सैटिलमेंट से पूर्व चले आ रहे हैं। खसरा गिरदावरी में दोनों नम्बरो को संयुक्त करने पर रकवा 02 बीघा 17 विस्वा यानि कि 45 एयर का बनता है जो मौके पर वर्तमान में केवल खसरा नम्बर 948 में जिसका रकवा 52 एयर हाल जमाबन्दी में दर्ज है। गैर सायलान रैस्पो0 ने दौराने सैटिलमेंट अकेले भू प्रबन्ध कर्मचारियो से साज कर साविक खसरा नम्बरान 1034 जिसका कुल रकवा 02 बीघा 17 विस्वा बनता है को अपने नाम हाल राजस्व रिकार्ड में करा लिया। जिसका हाल खसरा नम्बर 948 रकवा 52 एयर दर्ज है। उक्त इंद्राज गलत होने के कारण काविले कलमजन है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा 03.11.2020 में संशोधन करते हुये केवल दोनो पक्षकारो को ताफैसला मूल वाद बेचान नहीं करने हेतु पाबन्द करते हुये शेष स्थगन आदेश बाबत् कृषि आराजी को जोतने बोने व उपयोग व उपभोग में व्यवधान नहीं करने व बेदखल नहीं करने का आदेश निरस्त कर दिया जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध रिकार्ड से यह तथ्य स्पष्ट था कि हाल खसरा नम्बर 948 रकवा 0.52 है0 वाके ग्राम दॉदू साविक खसरा नम्बर 1034 रकवा 02 बीघा 17 विस्वा एवं 1035 मि से बन्दोबस्त विभाग द्वारा कसीद किया गया है। साविक खसरा नम्बर 1034 के शुरू से भाग हो रहे हैं जिसमें से साविक खसरा नम्बर 1034 के सायल अपीलाण्ट के पूर्वज चुन्नी तथा 1034 मिन के रैस्पो0 के पूर्वज प्रहलाद के नाम प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2016 में खुद काश्त के इन्द्राज दर्ज रिकार्ड हैं। चुन्नी के मरने के बाद खसरा नम्बर 1034 अन्य आराजी के साथ विरासतन अपीलाण्ट के पूर्वज टीकम व देवीराम को वहिस्सा बराबर प्राप्त हुई है। प्रहलाद के मरने के बाद साविक खसरा नम्बर 1034 पर रैस्पो0 के पिता बदनसिंह व करनसिंह दर्ज रिकार्ड हैं। यही इन्द्राज बंदोबस्त होने तक बदस्तूर रहे हैं। परन्तु बन्दोबस्त विभाग द्वारा बिना किसी अधिकार के क्षेत्राधिकार के परे बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के हाल खसरा नम्बर 948 बनाते समय अपीलाण्ट के पूर्वज टीकम व देवीराम के नाम कलमजन कर अकेले रैस्पो0 के नाम कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने पहले अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में दावे के निस्तारण तक रैस्पो0 को अपीलाण्ट की कृषि आराजी को जोतने बाने उपयोग व उपभोग में व्यवधान नहीं करने, अपीलाण्ट को बेदखल नहीं करने व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया। परन्तु बाद में अपीलाधीन आदेश से बिना कोई विधिक एवं न्यायिक प्रक्रिया की पालना किये, दोंनों पक्षकारो की अभिभाषकगणो की सहमति दर्ज करते हुये उक्त अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में संशोधन करते हुये मात्र बेचान करने का स्थगन

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

जारी किया एवं शेष स्थगन को निरस्त कर दिया, जो बिल्कुल विधि अनुरूप नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर आदेश को निरस्त करने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 के तीनों महत्वपूर्ण बिन्दुओं की कोई विवेचना नहीं की गयी है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश बोलता हुआ आदेश नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जा व मौका बाबत् भी अपना कोई अभिमत प्रकट नहीं किया है और ना ही कोई व्याख्या की है। अपीलाधीन आदेश की आड में रैस्पो0, अपीलाण्ट को विवादित आराजी से बेदखल करने पर आमदा हैं एवं विवादित आराजी को जोतने बोने नहीं दे रहे व जबरन कब्जा करने पर उतारू हैं। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अपीलाण्ट का यह कहना कि साविक खसरा नम्बर 1034 व 1035 से हाल खसरा नम्बर 948 है0 बना है कतई गलत है। इसी प्रकार यह कहना कि 948 की सम्पूर्ण खातेदारी रैस्पो0 के नाम आई, बिल्कुल गलत है। रैस्पो0 के नाम मात्र 1/2 हिस्सा था शेष 1/2 हिस्सा विभाजन के दावे से रैस्पो0 के नाम आया है। अपीलाण्ट यदि दुरूस्ती चाहता है तो शेष 1/2 हिस्सा जो अन्य व्यक्तियों के नाम आया था उन्हें पक्षकार मुकदमा बनाकर दुरूस्ती करानी चाहिये थी। पूर्व में एक दावा विभाजन का दिनांक 30.07.2004 को रैस्पो0 के पक्ष में निर्णीत हुआ। अपीलाण्ट को उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील करनी चाहिये थी, जो नहीं की गयी है। अपीलाण्ट जो साविक खसरा नम्बर 1034 व 1035 बताता है वह ग्राम लखन में चले गये। जिसमें 1/2 भाग पर अपीलाण्ट व 1/2 भाग पर रैस्पो0 खातेदार है। रैस्पो0 द्वारा जरिये वयनामा खसरा नम्बर 1032 लगायत 1038 का 1/2 हिस्सा क्रय किया था। उक्त सभी खसरा नम्बर ग्राम महारथ में स्थित थे। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक अन्य दावा सूरजमल बनाम रनधीर भी पेश किया था। जिसमें पक्षकार मुकदमा व विवादास्तपद आराजी खसरा नम्बर 948 ही था। इन दोंनों पत्रावलियो पर स्थगन की बहस के समय दोनों अपीलाण्ट व रैस्पो0 के अधिवक्ता की सहमति से रिकार्ड की यथास्थिति का स्थगन आदेश ताफैसला मूलवाद किया गया। परन्तु अब अपीलाण्ट उक्त सहमति को दरकिनार करते हुये अपील प्रस्तुत कर रहे हैं। अतः अपील अपीलाण्ट काबिले खारिजी है।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् स्थगन पर दिनांक 03.11.2020 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा रैस्पो0 के विरूद्ध पारित की गयी है। उक्त आदेश में अपीलाण्ट के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति बनना प्रतीत माना है। तत्पश्चात् प्रकरण में अंतिम बहस सुनकर दिनांक 08.02.2021 को अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुये, पूर्व में जारी अस्थाई अंतरिम निषेधाज्ञा में संशोधन कर दिया। उक्त संशोधन केवल उभयपक्ष के अधिवक्तागण की सहमति के आधार पर किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में कोई विधि आधार नहीं बताया एवं ना ही अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों महत्वपूर्ण घटक प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दुओ की ही विवेचना की

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

गयी है, जो कि विधिक रूप से आवश्यक थी। साथ ही यह भी उल्लेख नहीं किया कि पूर्व अंतरिम आदेश के उक्त तीनो महत्वपूर्ण बिन्दु जब अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के पक्ष में पाये तो किस विधिक आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अपीलाण्ट के पक्ष में नहीं रहे। चूंकि अपीलाण्ट का मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन हैं। जिसमें पक्षकारो के अधिकारो का निर्धारण विस्तृत साक्ष्य विवेचना उपरान्त तय होगें। ऐसे में विवादित आराजी की सुरक्षा एवं वाद बाहुलता को रोकना आवश्यक है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र सरसरी तौर पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के महत्वपूर्ण बिन्दुओ की विवेचना किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो स्थिर रहने योग्य नहीं है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर के निर्णय दिनांक 08.02.2021 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, पुनः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो घटक प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति की विवेचना की जाकर अधिकतम 2 माह में बोलता हुआ आदेश पारित करें। तब तक अधीनस्थ न्यायालय का अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 03.11.2020 प्रभावी रहेगा। पक्षकारो को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 09.10.2023 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, वाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 13.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

13.09.2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर